Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XI, Issue No. 22, July-2016, ISSN 2230-7540

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का तुलनात्मक अध्ययन (जिला- गया, बिहार के सन्दर्भ में)

Sarita Kumari[1]* Dr. Seema Pandey[2]

[1]Research Scholar, Satya Sai University, Shehore

[2]Dean

सारांश – भारतीय प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा के स्वरूप में एवं व्यवस्था में महान अन्तर है। प्राचीन कालीन प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप से आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। वैदिक कालीन प्राथमिक शिक्षा, बौद्ध कालीन प्राथमिक शिक्षा, मुस्लिम कालीन प्राथमिक शिक्षा तथा ब्रिटिश कालीन प्राथमिक शिक्षा से वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हण्टर कमीशन–1882, लार्ड कर्जन–1898–1905, हर्टांग समिति–1927–1929 ने प्राथमिक शिक्षा की समस्या पर विचार कर उनकी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा तैयार किया। हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत में एक बड़ी संख्या में छात्र प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना प्राथमिक शिक्षा से हट जाते हैं। वह समस्या आज देश को आजाद हुए 62 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु इससे पूर्ण रूपेण मुक्ति नहीं मिल पायी है। इसके कारण एवं निवारण को शोध का विषय बनाया गया हैं।

----------X----------

प्रस्तावना

कसी भी राष्ट्र का आदर्श उसकी शिक्षण संस्थाओं में ही प्रतिबिम्बित होता है। इनसे हमें राष्ट्रीय एकता की आत्मा के पहचान में सहायता मिलती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है परन्तु प्राथमिक शिक्षा में एक बड़ी संख्या में छात्र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना बीच में ही शिक्षा को स्थगित कर देते है। यह गम्भीर एवं विचारणीय बिन्दु है। यह स्थानीय ही नहीं बल्कि देशस्तर पर हर वर्ष का एक विचारणीय बिन्दु हैं इसलिए शोधकर्ता ने ''प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय एव ं अवरोधन का तुलनात्मक अध्ययन, नामक शीर्षक को शोध का विषय बनाया है। मानवीय मूल्यों का विकास करने में देश उन्नति के लिए व्यक्ति को सुयोग्य एवं सुसंस्कृति बनाने के लिए शिक्षा की महती आवश्कयता है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से सम्पन्न करती है, इस सन्दर्भ में डा0 ए.एसअल्तेकर का कथन है ''ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है, तथा उसे सही कार्यों में प्रवृत्त करता है।1–5 महाभारत का कथन है ''विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता।'' संस्कृत में कथन है ''नास्ति विद्या समं चक्षुनास्ति सत्य समं तपः'' ।2 डा0 एस. अल्तेकर का कथन है– ''प्राचीन भारत में शिक्षा अर्न्तज्योति और शक्ति का स्रोत मानी जाती थी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों के सन्तुलित विकास से हमारे स्वभाव में परिवर्तन करती तथा उसे श्रेष्ठ बनाती है।''6–8 इस प्रकर शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में एक विनीत और उपयोगी नागरिक के रूप में रह सकें। बच्चों का प्रथम पाँच वर्षों का समय उसके विकास में बहुत महत्व रखता है और इस आयु वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिश ुकाल एक ऐसा समय है जबकि बच्चा सबसे अधिक सीखता है। इसी दौरान उसके मस्तिष्क का बड़ी तेजी से विकास होता है, अतः 5 से 14 वर्ष की अवस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहकर वह अपना समस्त क्रियाकलाप करता है। वह अपना साम ंजस्य समाज के साथ स्थापित करता है। समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार एवं अनुभव में परिवर्तन एवं परिमार्जन करना पड़ता है। इससे वह अनवरत समाज में विकास करता है। इस पूरी प्रक्रिया को दूसरे शब्दों में शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। यह प्रक्रिया मनुष्य के प्रारम्भिक जीवनकाल से प्रारम्भ होकर आजीवन चलती रहती हैं। इतना अवश्य है कि देश एवं काल के अनुसार प्रक्रिया तीव्र एवं मन्द हो सकती है। मानव मस्तिष्क सुविचार प्रकृति के कारण अनवरत मानव के विकास के सन्दर्भ में मार्ग प्रशस्त करता है।

साहित्य की समीक्षा

जनतान्त्रिक देश भारत अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा कुशल एवं श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण करने के लिए औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर विशेष बल दे रहा है क्योंकि ''भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रह है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और विज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगों को खुशहाली कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्माण करती है। हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय

www.ignited.in

पुनर्निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी, जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाना है। यह कार्य न तो अपने तरह का अकेला है और न ही बिल्कुल नया है किन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद से तथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के तरीकों के अपनाये जाने के बाद से उसकी विशालता, गम्भीरता शीघ्र ही उसे पूरा करने की आवश्यकता बहुत बढ़ गयी और उसमें एक नया अर्थ आ गया तथा उसका एक नया महत्व भी हो गया। यदि हमें राष्ट्रीय विकास की गति तेज करना है तो शिक्षा सम्बन्धी एक सुलझी हुई दृढ़ संकल्प एवं प्राणमय कार्यवाही करने की इस समय बड़ी आवश्यकता है।''9–12 परम्परा से स्कूल शिक्षा को तीन स्तरों में बाँटा गया है– पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षा। इन तीन स्तरों को बच्चों के विकास की तीन अवस्थाओं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के तत्संवादी रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने का प्रयास स्वतन्त्रता के बाद से ही किया जा रहा है परन्तु अब जाकर सबके लिए शिक्षा का कानून 01 अप्रैल 2010 में लागू किया जा सका। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया है कि ''राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष आयु पूरी करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।''13–16 इस अनुच्छेद से 14 वर्ष तक अर्थात प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य पर सौपी गयी थी। संविधान की मंशा थी, कि सन् 1960 तक सभी बच्चे अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगें। कतिपय कारणों से राज्य अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाया परन्तु सरकार के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब यह अपने साकार रूप को प्राप्त कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून को लागू किया जा सका है।

प्राचीन कालीन भारतीय प्राथमिक शिक्षा (600 ई0पूव)

डा0 ए.एस. अल्तेकर के अनुसार– ''प्राचीन भारत में लगभग 400 ई0 पू0 से पहले प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, प्राचीन काल में शिक्षा घर पर ही दी जाती थी। परिवार ही शिक्षा का केन्द्र था।''20 बाद में गुरूकुल में शिक्षा दी जाने लगी थी। प्राथमिक शिक्षा में बालकों को पहले वेदमन्त्र का उच्चारण करना, बोलना सिखाया जाता था। मंत्रों को कंठस्थ करने के बाद उन्हें पढ़ने और लिखने की शिक्षा दी जाती थी। इस युग में ब्राम्हण, क्षत्रिय और वैश्य को ही शिक्षा दी जाती थी। शुद्र शिक्षा से वंचित रहते थे। इस युग में पुरूषो के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। सह शिक्षा की भी व्यवस्था थी। शिक्षा निःशुल्क थी 5 वर्ष की आयु में प्रवेश तथा अध्ययन की अवधि 6 वर्ष तक थी।

बौद्ध कालीन शिक्षा (500 ई0पू0 से 1200 ई0 तक)–

बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक काल से मिलती जुलती थी। परन्तु उस युग की मान्यताओं में अन्तर आ गया था। बौद्ध कालीन शिक्षा धर्म प्रधान थी। यह दो स्तरों क्रमशः धार्मिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा में विभाजित थी। बौद्ध शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों एवं जातियों के लिए खुले थे परन्तु बौद्ध धर्म अपनाना अनिवार्य था। सातवीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री आइसांग के अनुसार –प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु 6 वर्ष थी।

चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन किया है कि बालक को प्रथम 6 माह में ''सिद्धिरस्तु'' नामक बालपोथी पढ़नी पड़ती थी 16 माह बाद बालक को पॉच विद्याओं– शब्द विद्या चिकित्सा विद्या, अध्यात्मविद्या, शिल्प विद्या, स्थान विद्या, की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी।

भारत में मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा (मुस्लिम शिक्षा) (1200 ई0 से 1700 ई0 तक)

इस युग में शिक्षा प्रसार का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म और मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना था। प्रारम्भिक शिक्षा चार वर्ष चार महीने चार दिन की आयु में मकतबों में प्रारम्भ की जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसो में दी जाती है। शिक्षा निःशुल्क थी, स्त्री शिक्षा का अधिक प्रचलन नहीं था। मुस्लिम युग में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में व्यवसायिक शिक्षा तथा अनुशासन पर बल दिया जाता था। इस शिक्षा का प्रमुख गुण यह था कि इसमें लौकिक विषयों की प्रधानता दी जाती थी और चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। आलिम और फाजिल की उपाधि महत्वपूर्ण थी इस शिक्षा के फलस्वरूप इतिहास लिखने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख दोष यह था कि जनसाधारण की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। उच्चवर्ग के ही शाही घराने की स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी।

मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों और कस्बों में की गयी थी जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी। इस युग में हिन्दुओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कम मिल पाया। मुस्लिम शासकों द्वारा हिन्दुओं की शिक्षा की उपेक्षा की गयी।

ब्रिटिश कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था (1700 ई0 से 1947 तक)–

प्राचीन भारतीय शिक्षा मुसलमानो द्वारा पदक्रान्त की जा चुकी थी और मुस्लिम शिक्षा अपने संरक्षको के अभाव में डगमगा रही थी ऐसे समय में मिशनरियो ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके देश की जनता का अकथनीय हित किया।

मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को ईसाई धर्म की शिक्षा देना था। मिशन स्कूलों ने भारतीय शिक्षा के प्रसार और विकास में महान योगदान किया। ईसाई मिशनरियों के साथ ही कुछ भारतीय शिक्षाशास्त्रियों ने भी शिक्षा का प्रसार किया। इसमें राजाराम मोहनराय, ईश्वरचन्दविद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके प्रयास से भारत में अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई और शिक्षा का प्रसार हुआ। आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ का श्रेय ब्रिटिश शासन काल के मिशनरियों को प्राप्त है।

इस युग में शिक्षा की शुरूआत सन् 1835 में मैकाले के घोषणा पत्र से प्रारम्भ होता है। इस युग में शिक्षा का छनाई सिद्धान्त, वुड का घोषणा पत्र, भारतीय शिक्षा आयोग, हण्टर कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, हर्टांग समिति, बेसिक शिक्षा, सार्जेन्ट रिपोर्ट का विशेष महत्व है।

www.ignited.in

उपसंहार

इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में अपव्यय का दर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की तुलना में अधिक हैं, इसका कारण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उम्र कम होती है उन्हें अपने भविष्य को सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती इसलिए ये बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठ जाते हैं और उनके अभिभावक भी इतने उदासीन होते हैं कि उन्हें विद्यालय भेजने में सख्ती नहीं करते और परिणाम वे अबोध बालक पढ़ाई छोड़ कर घर के कार्यो या किसी दूसरे के कार्यों में लग कर कुछ धन अर्जन करना चाहते हैं। जहाँ तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रश्न है। अपव्यय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तो इतना भी नहीं होना चाहिए था परन्तु अभिभावक और छात्र के उदासीनता के कारण इतना प्रतिशत अपव्यय विद्यमान है।

अपव्यय के प्रमुख कारण तो छात्र और अभिभावक की उदासीनता, अरुचि और गरीबी है परन्तु जितना जिम्मेदार अभिभावक है इससे अधिक जिम्मेदार विद्यालय के अध्यापक और प्रशासक वर्ग भी है। परिषदीय विद्यालयों में शासन की तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही है परन्तु इसके बावजूद परिषदीय विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है जिसके कारण विद्यालय में अपव्यय और अवरोधन दर्ज हो रहा है।

साथ में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का पलायन प्राइवेट विद्यालयों की ओर हो रहा है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में सुझाव यह है कि गरीब अभिभावक और छात्रों के अन्दर जागरूकता पैदा करना परम आवश्यक है। जब अभिभावक शिक्षा के मूल्य को समझ जाएंगे तो अपने बच्चों को घर के कार्यो में न लगाकर विद्यालय भेजने में दिलचस्पी लेंगे और अध्यापकों और प्रशासक वर्ग के लिए सख्त आदेश दिया जाय कि जिस जिले के जिस विकास खण्ड के विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति और उनके शिक्षा के स्तर में कमी होगी उन प्रशासनिक अधिकारी और सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापक को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा तो सभी अध्यापक और प्रशासक तल्लीनता के साथ कार्य करे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ जाय।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

बुच 0 एम0बी0 (1979). सेकण्ड सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन (1972–1978) बड़ौदा

बुच0 एम0बी0 (1974). ए सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन फर्स्ट एडिशन बड़ौदा

के0जी0 सैयद्दीन (1979). एजूकेशन कल्चर एण्ड सोशल आर्डर : मैक मिलन इण्डिया प्रेस नयी दिल्ली

मैकाइवर एण्ड पेज (1955). सोसाइटी, मैकमिलन एण्ड कोल लिमिटेड लन्दन

हाब्स एण्ड हाब्स (1982). दि डिक्शनरी आफ एजूकेशन बी0एन0 आर0 न्यूयार्क

हुसैन टार्सटेन (1985). दि इण्टर नेशनल इन साइक्लोपीडिया आफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड स्टडीज बाल्यूम–9 टी0 रा`ड परगामान प्रेस न्यूयार्क 1985

भारत सरकार (1968). शिक्षा आयोग रिपोर्ट, नई दिल्ली 1964–66 प्रथम संस्करण (हिन्दी)

पेज, जी0. टेरी एण्ड थामस, जे0पी0 (1979). इण्टरनेशनल डिक्शनरी आफ एजूकेशन के0पी0 लिमिटेड 120 पेण्टोन विले रोड लन्दन

रस्तोगी डा0 के0पी0 (1976). भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं। रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ

जेम्स एच0 आर0 (1960). वुड्स मैग्नाचार्ट आफ एजूकेशन इन इण्डिया दि मैक मिलन कम्पनी न्यूयार्क

नुरुल्ला एण्ड नाइक (1974). ए हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इण्डिया एण्ड कम्पनी नयी दिल्ली

Corresponding Author

Sarita Kumari*

Research Scholar, Satya Sai University, Shehore

E-Mail – chintuman2004@gmail.com